

राजस्थान-सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु**

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प राणासा



**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राणासा व भूअ.नि. के.सा.चूरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राणासा तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 228 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम  | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)                                | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)             |
|---------|--------|-------------|---|--|
| 1.      | राणासा | 228         | डे.राज पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/8 जाति स्वामी निकासी राणासा खारेहार | सुभाषचन्द्र पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/8 जाति स्वामी निकासी राणासा खारेहार |

11/10/21  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 79/2021

दिनांक :- 11-10-21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुभाषचन्द्र पुत्र बिहारीलाल जाति स्वामी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। निकासी राणासा तहसील

1267  
11-10-2021

11/10/21  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)